सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 वैशाख, 1941 (श०)

संख्या- 373 राँची, शुक्रवार, 26 अप्रैल, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

संकल्प

18 अप्रैल, 2019

संख्या-5/आरोप-1-48/2016-1824 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री निरंजन कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-820/03, गृह जिला-भागलपुर), तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, गुमला के विरूद्ध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के खिलाड़ियों को मिलने वाली खेल सामग्रियों की आपूर्ति एवं वितरण में भारी अनियमितता बरतने, बिना मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स एकेडमी को खेल सामग्रियाँ प्राप्त करने हेतु अधिकृत करना एवं सामग्रियों का वितरण खेल पदाधिकारी एवं विद्यालय के माध्यम से नहीं कराया जाना, सम्पूर्ण जिले के प्रखण्ड स्तर के छात्रों के बीच खेल सामग्री वितरण करने के विभागीय प्रावधान के विपरीत कुल 207 छात्र/छात्राओं में से सिर्फ सिलम विद्यालय एवं स्पोर्ट्स एकेडमी, गुमला के 195 छात्र/छात्राओं का नाम शामिल करने, जिला खेल पदाधिकारी की अनुशंसा के विरूद्ध 163 छात्र/छात्राओं का नाम बिना मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स एकेडमी की अनुशंसा के आलोक में सूची में शामिल करने, छात्र/छात्राओं का संबंधित विद्यालय में नामांकित न होना एवं नामांकित छात्र/छात्राओं को किसी प्रकार के खेल सामग्रियों की आपूर्ति न कर उनके नाम वितरण दिखाकर उनका जाली हस्ताक्षर अंकित करने एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 में खेल सामग्री आपूर्ति के क्रम में 3,37,973/- रूपये की निकासी एवं गबन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने आरोप, जैसा कि कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1482, दिनांक 11.05.2016 के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-9(i), दिनांक 23.09.2015 द्वारा गठित प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री कुमार के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी, गुमला को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	NIRANJAN KUMAR BHR/BAS/3757	श्री निरंजन कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-820/03, गृह जिला-भागलपुर), तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, गुमला के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 373 -- 50